89 फीसद नगरपालिका वार्डों में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत घर-घर से लिया जा रहा है कचरा। सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन के जवाब में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।

चीन के सैन्य अड्डे के पास अभ्यास करेंगे भारत-फ्रांस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- धीरे-धीरे नौसैनिक सहयोग को ठोस आकार दे रहे भारत-फ्रांस

ठीक एक वर्ष पहले राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सहमति बनी थी कि भारत और फ्रांस नौसैनिक साझेदारी को नया विस्तार देंगे और इस साझेदारी को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ज्यादा प्रगाढ़ बनाने की कोशिश होगी। इस वर्ष दोनों देश अपने सालाना नौसैनिक अभ्यास 'वरुण' का सबसे अहम चरण अफ्रीकी देश जिबूती के पास आयोजित करने जा रहे हैं। दोनों देशों के इस अभ्यास पर इसलिए भी सबकी नजर है कि यहां से चीन का नया सैन्य अड्डा बहुत करीब है। जिबूती फ्रांस का उपनिवेश रहा है और वहां उसका भी सैन्य अड्डा है। फ्रांस पहले भी कई बार यह इच्छा जता चुका है कि वह भारत को आने वाले दिनों में अपने सबसे करीबी नौसैनिक साझेदार के तौर पर देखना चाहता है।

मोदी और मैक्रां के बीच वार्ता में हिंद महासागर में संयुक्त रणनीति बनाने को लेकर भी सहमति बनी थी। जिबूती के पास सैन्य अभ्यास आयोजित कर दोनों देश यह दिखा रहे हैं कि वे इस घोषणा को लेकर गंभीर हैं। पिछले वर्ष भारत और फ्रांस की नौ सेनाओं के बीच वरुण सैन्य अभ्यास हिंद महासागर के रीयूनियन द्वीप के पास हुआ था। असलियत में यहां के कई द्वीप अभी भी फ्रांस के अधीन हैं और इससे उसका रणनीतिक हित जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में फ्रांस के छह लाख नागरिक भी रहते हैं।

सूत्रों के मुताबिक, यह अभ्यास दो चरणों में आयोजित होगा। पहला चरण अभी एक मई से 10 मई तक गोवा में चल रहा है जबकि दूसरा चरण जिबूती में होगा। इस सैन्य अभ्यास में फ्रांस के युद्धक विमान राफेल और भारत की मिग श्रेणी के विमान भी हिस्सा लेंगे। चूंकि सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के प्रमुख विमानवाहक पोत भी हिस्सा ले रहे हैं इसलिए यह संभव हो पा रहा है। संयुक्त अभ्यास में भारत की तरफ से आइएनएस विक्रमादित्य और फ्रांस का विमान वाहक पोत चार्ल्स डु गोल हिस्सा ले रहे हैं।

फर्जीवाड़े के आरोपित सुप्रीम कोर्ट के बर्खास्त कोर्ट मास्टर को जमानत

माला दीक्षित, नई दिल्ली

- अनिल अंबानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छेड़छाड़ का केस
- दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने 50 हजार के मुचलके पर दी बेल

उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में गड़बड़ी करने और गलत आदेश कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के आरोप में बर्खास्त कोर्ट मास्टर तपन कुमार चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। शुक्रवार को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने तपन कुमार चक्रवर्ती को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी राशि की जमानती पेश करने की शर्त पर जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व कोर्ट मास्टर तपन चक्रवर्ती और मानव शर्मा पर रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) के मुखिया अनिल अंबानी की अवमानना मामले में कोर्ट में निजी पेशी के आदेश में छेड़छाड़ करने का आरोप है। आरोप के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को निजी पेशी से छूट नहीं दी थी जबकि वेबसाइट पर अपलोड हुए आदेश में अनिल अंबानी को पेशी से छूट देने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कर्मचारियों को कोर्ट का फर्जी और गलत आदेश वेबसाइट पर डालने का दोषी पाते हुए गत फरवरी में नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद इस मामले में दोनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसमें दोनों गत सात अप्रैल से जेल में हैं। तपन कुमार चक्रवर्ती ने जमानत अर्जी दी थी।

शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमके नागपाल ने चक्रवर्ती के वकील ऋषि मल्होत्रा की दलीलें सुनने के बाद उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इससे पहले ऋषि मल्होत्रा ने चक्रवर्ती को जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त 58 वर्ष का है। उसकी बाइपास सर्जरी हो चुकी है। उसका 34 साल की बेदाग नौकरी का रिकॉर्ड है। उस पर कभी कोई केस नहीं रहा। इस मामले में उस पर आरोप है कि जब वह सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर (नॉन शॉर्टहैंड) था तब उसने और उसके सहयोगी कोर्ट मास्टर मानव शर्मा (शॉर्टहैंड) के साथ मिलकर कोर्ट का गलत आदेश वेबसाइट पर डाला था। मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही और आदेश की ऑर्डर शीट तैयार किए जाने की पूरी प्रक्रिया का चार्ट अदालत में पेश किया। इसके मुताबिक आदेश अंतिम रूप लेने से पहले करीब दस स्तर पर जाता है और कई स्तर पर जांचा जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सिर्फ चक्रवर्ती को दोषी नहीं माना जा सकता। वैसे भी वह नॉन शॉर्टहैंड कोर्ट मास्टर था। उसका काम कोर्ट में आदेश दर्ज करने का नहीं था। मल्होत्रा ने कहा कि वह सात अप्रैल से जेल में है। इस दौरान वह 10 दिन पुलिस कस्टडी में भी रहा। उससे सारी पूछताछ हो चुकी है। उसे नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया है।

कोर्ट ने ऋषि मल्होत्रा की दलीलें स्वीकार करते हुए कहा कि अभियुक्त को अब हिरासत में रखने का कोई उद्देश्य नहीं बचा है। ऐसे में उसे 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का एक जमानती पेश करने पर जमानत दी जाती है।

चीफ जस्टिस पर अमर्यादित आचरण से भी जुड़ा है मामला

चक्रवर्ती और मानव शर्मा पर आरोपों का मामला इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले सप्ताह वकील उत्सव बेंस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर आरोप लगाया है कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर अमर्यादित आचरण के आरोप लगाए जाने के पीछे बड़ी साजिश है। इसमें कॉरपोरेट फिक्सर शामिल हैं। उसने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्य न्यायाधीश को फंसाने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के बर्खास्त किए गए तीनों कर्मचारी एकजुट हैं। तीन में से दो इन्हीं कर्मचारियों का नाम लिया गया था जबकि तीसरी कर्मचारी बर्खास्त महिला है जिसने मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगाए हैं। फिक्सिंग साजिश के आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत न्यायाधीश एके पटनायक को सौंपी है जबकि मुख्य न्यायाधीश पर अमर्यादित आचरण के आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की इन हाउस कमेटी कर रही है।

खर्च में कटौती ▸ संसद ने उठाए अहम कदम, अलग-अलग राज्यों के भवनों के तीन सौ कमरे किए गए आरक्षित

नए सांसदों को नहीं मिलेंगे पांच सितारा होटल

लोकसभा चुनाव जीत कर आने वाले सांसदों के स्वागत की तैयारी हुई तेज

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

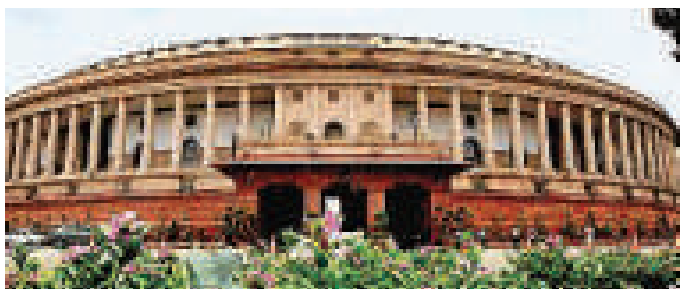

17वीं लोकसभा के गठन में अब सिर्फ तीन हफ्ते का समय ही बाकी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव जीतकर आने वाले नए सांसदों के स्वागत की तैयारी तेज हो गई है। फिलहाल इस कड़ी में जो बड़ा फैसला लिया गया है उसके तहत इस बार किसी भी नए सांसद को होटल में नहीं ठहराया जाएगा। इनके ठहरने के लिए वेस्टर्न कोर्ट सहित राजधानी में मौजूद अलग- अलग राज्यों के भवन में व्यवस्था की गई है, जहां करीब तीन सौ कमरे आरक्षित किए गए हैं।

संसद की इस कवायद को सांसदों को होटल में ठहराने पर होने वाले भारी-भरकम खर्चों में कटौती से जोड़कर देखा जा रहा है। संसद की अब तक की व्यवस्था के तहत जीतकर आने वाले नए सांसदों को स्थाई आवास मिलने तक होटलों में ठहराया जाता था। कई बार महीनों तक स्थाई आवास न मिलने पर उन्हें होटलों में ही रहना होता था। ऐसे में होटल का पूरा खर्च संसद को भरना पड़ता था।

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शुक्रवार को नए सदस्यों के स्वागत की तैयारियों को लेकर बुलाई गई बैठक में इस पर पूरी स्थिति साफ की। साथ ही कहा कि नए सदस्यों के प्रशिक्षण सहित उनके आने-जाने और उनकी अगवानी करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। महाजन ने अधिकारियों की तैयारियों पर संतोष भी जताया। साथ ही सेंट्रल हॉल में फर्नीचर सहित आंतरिक साज-सज्जा को लेकर चल रही तैयारियों का भी जायजा लिया। लोकसभा में मौजूदा समय में सदस्यों की संख्या 545 है। 23 मई को मौजूदा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। वर्तमान व्यवस्था के तहत विजयी सभी सांसदों के ठहरने की व्यवस्था संसद की ओर से की जाती है।

नए सदस्यों के स्वागत के लिए संसद में खुलेगा कंट्रोल रूम

लोकसभा में जीतकर आने वाले नए सदस्यों के स्वागत के लिए संसद में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। यह वार रूम के रूप में 23 मई की सुबह से काम शुरू कर देगा। इस दौरान जीत दर्ज करने वाले सांसदों से तुरंत ही संपर्क किया जाएगा। साथ ही उनके संसद में आने की पूरी जानकारी और संसद सदस्य के रूप में भरे जाने वाले फॉर्मों का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, उन्हें अस्थाई रूप से एक पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा, जो जीतकर आने वाले सदस्यों को दिल्ली पहुंचते ही तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा।

तीस साल के बाद नए लुक में दिखेगा सेंट्रल हॉल

संसद का सेंट्रल हॉल करीब तीस साल के बाद अब एकदम नए लुक में देखने को मिलेगा। इसकी कुर्सियां अब पहले के मुकाबले ज्यादा आरामदायक और चमकीली दिखेंगी। इसके साथ ही सेंट्रल हॉल की आंतरिक सज्जा में भी बदलाव दिखेगा। हॉल में लगे खास लुक वाले पंखों को नए सिरे से सजाया जा रहा है, ताकि वे बगैर आवाज किए तेजी से चल सकें। सेंट्रल हॉल में बड़े स्तर पर साज-सज्जा का यह काम करीब तीस सालों के बाद किया जा रहा है।

'ताई' अब प्रवचन में लगाएंगी मन

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

- लोकसभा अध्यक्ष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद भविष्य की योजना पर की बात
- संसद से दूर होने का दर्द भी झलका, कहा-तीस साल जहां गुजारे उसे भूलना आसान नहीं है

लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर (संसद) में जीवन के 30 साल गुजार चुकी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन (ताई) अब प्रवचन में मन लगाएंगी। साथ ही पार्टी और सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहेंगी। हालांकि इस दौरान उनका संसद से दूर होने का दर्द भी छलका और कहा कि संसद में बिताए गए 30 वर्षों को भूलना आसान नहीं होगा, पर वह बीच-बीच में आती रहेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर 17वीं लोकसभा के गठन की तैयारियों का जायजा लिया।

सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने भविष्य की योजना पर 'जागरण' से बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रवचन और सामाजिक गतिविधियों से वह पहले से भी जुड़ी रही हैं। राजनीति में आने से पहले वह प्रवचन करती थीं। यह उनका प्रिय विषय रहा है। इंदौर से लगातार आठ बार सांसद रहीं महाजन ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया।

संसद में हंगामे, गतिरोध और भाषा के सवाल पर उन्होंने कहा कि सदस्यों से सदैव हमारी यही अपेक्षा रहती है कि वह सदन में अपनी बात नियमों के तहत ही रखें। इसके लिए हम जीतकर आने वाले नए सदस्यों को प्रशिक्षण भी देते हैं। उन्हें नियमों की पूरी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। इस बार तो हम किताबों के साथ सभी नए सांसदों को एक पेन ड्राइव भी देंगे, जिसमें संसद में उनसे अपेक्षित व्यवहार और नियम-कायदों की पूरी जानकारी मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा कि उनका फोकस लोकसभा में जीत कर आने वाले नए सदस्यों पर है। इसके तहत हम उन्हें एक बेहतर सत्कार देने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें यह आभास हो सके कि वह किसी बड़ी जगह पर और किसी बड़े काम के लिए आए हैं। ऐसे में वह हंगामे के बजाय जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने पर ध्यान दे सकेंगे।

ईवीएम से 50 फीसद वीवीपैट पर्चियों के मिलान पर अगले हफ्ते होगी सुनवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सुप्रीम कोर्ट में 21 विपक्षी दलों ने दाखिल की है पुनर्विचार याचिका
- अदालत ने हर विधानसभा क्षेत्र में पांच ईवीएम का वीवीपैट पर्चियों से मिलान का दिया है आदेश

विपक्षी दलों की 50 फीसद वीवीपैट पर्चियों को ईवीएम से मिलाए जाने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आठ अप्रैल के फैसले के खिलाफ 21 विपक्षी दलों ने यह पुनर्विचार याचिका दाखिल किया है।

कोर्ट ने आठ अप्रैल के अपने फैसले में हर विधानसभा क्षेत्र में एक ईवीएम को वीवीपैट पर्ची से मिलाए जाने के बजाय पांच ईवीएम को वीवीपैट पर्ची से मिलाने का आदेश दिया था।

विपक्षी दलों की ओर से शुक्रवार को पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पुनर्विचार याचिका का जिक्र करते हुए मामले पर जल्दी सुनवाई का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होने वाले हैं और 23 मई को मतगणना है। ऐसे में अगर याचिका पर जल्दी सुनवाई नहीं होगी तो यह महत्वहीन हो जाएगी। उन्होंने कोर्ट से पुनर्विचार याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने का अनुरोध किया जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस सहित कुल 21 विपक्षी दलों ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा है कि ईवीएम से वीवीपैट का मिलान एक के बजाय पांच ईवीएम प्रति विधानसभा करने से यह मात्र दो फीसद ही बढ़ा है। सिर्फ दो फीसद बढ़ने से कोई असर नहीं होगा। उनके हक में फैसला आने के बावजूद उनकी शिकायत खत्म नहीं हुई है। एक ठीकठाक संख्या में ईवीएम का वीवीपैट पर्ची से मिलान होना चाहिए ताकि चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा कायम रहे। इसके लिए पचास फीसद ईवीएम का वीवीपैट पर्चियों से मिलान होना चाहिए।

हालांकि पिछली बार ही चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों की मांग का विरोध किया था। आयोग का कहना था कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में मांग के अनुरूप पचास फीसद वीवीपैट का मिलान करना संभव नहीं होगा। इससे चुनाव परिणाम घोषित होने में छह से नौ दिनों का वक्त लग सकता है। साथ ही बहुत सारे कर्मचारी और चाहिए होंगे। इसके बाद ही कोर्ट ने हर विधानसभा क्षेत्र में पांच ईवीएम का वीवीपैट से मिलान कराने का आदेश दिया था और कहा था कि इससे अतिरिक्त दबाव नहीं आएगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वीवीपैट के मिलान के लिए ईवीएम का चुनाव औचक होगा।

मोदी और शाह को फिर मिली क्लीन चिट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तीन पुराने मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहत देने के बाद अब महाराष्ट्र के नांदेड में दिए भाषण, एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार और वाराणसी में दिए भाषण को भी क्लीन चिट दे दी है। इसके साथ ही आयोग ने अन्य शिकायतों पर सुनवाई करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के पश्चिम बंगाल और नागपुर में दिए गए भाषणों को भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानने से इन्कार कर दिया है। आयोग के अनुसार दोनों ही नेताओं के भाषण की प्रति उसने मंगवा कर पढ़ी है और गहन अध्ययन के बाद यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री के खिलाफ 11 शिकायतें की गई थीं। उनमें से छह मामलों पर चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया है।

आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई तक प्रधानमंत्री और अमित शाह से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहित के उल्लंघन के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी जबलपुर में उनके दिए भाषण पर क्लीन चिट दे दी थी। वहीं एक अन्य मामले में आयोग ने राहुल को बुधवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, जिसका जवाब कांग्रेस अध्यक्ष को 48 घंटों में देना था। लेकिन राहुल ने आयोग से निवेदन किया है कि वो नोटिस का जवाब सात मई तक देंगे, जिसे आयोग ने मान लिया है।

पीएम को क्लीन चिट देने पर चुनाव आयोग में नहीं बनी थी आम राय

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके चुनावी बयानों को लेकर क्लीन चिट देने पर चुनाव आयोग में आम राय नहीं बन पाई थी। एक चुनाव आयुक्त ने फैसले का विरोध किया था। पिछले महीने महाराष्ट्र में दिए गए दो बयानों को लेकर आयोग ने पीएम को क्लीन चिट दी थी। उच्च पदस्थ सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आदर्श आचार चुनाव संहिता के उल्लंघन की तीन शिकायतें की थीं। तीनों में आयोग से उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक एक अप्रैल को महाराष्ट्र के वर्धा और नौ अप्रैल को लातूर में दिए गए भाषणों को लेकर प्रधानमंत्री को क्लीन चिट देने का एक आयुक्त ने विरोध किया था। प्रधानमंत्री ने वर्धा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के केरल के अल्पसंख्यक बहुल वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पर सवाल उठाया था। जबकि, लातूर की रैली में उन्होंने पहली वार वोट देने जा रहे मतदाताओं से बालाकोट एयर स्ट्राइक और पुलवामा के शहीदों की याद में मतदान करने की अपील की थी।

इस तरह के मामलों में 'पूर्ण आयोग' फैसला करता है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील अरोड़ा, और चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्र शामिल हैं। पीएम के दो भाषणों पर फैसला 2-1 से हुआ था।

कार्ति के विदेश जाने की अनुमति याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की विदेश जाने की अनुमति याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। जबकि, तमिलनाडु विस के स्पीकर के खिलाफ द्रमुक की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

एयरसेल-मैक्सिस मामले में विशेष अदालत द्वारा चिदंबरम और कार्ति की गिरफ्तारी पर रोक को छह मई तक बढ़ाने के बाद यह मामला उठा है। एक महीने के भीतर ऐसा पहली बार हुआ कि विशेष अदालत ने पिता-पुत्र की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि चार बढ़ाई। जब पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे, तब 2006 में कार्ति ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) से मंजूरी दिलाई थी। सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय यही जांच कर रहे हैं कि आखिर कार्ति ने कैसे इस सौदे को मंजूरी दिलाई थी।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर पी धनपाल के खिलाफ डीएमके की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। स्पीकर ने अन्नाद्रमुक के तीन विधायकों ए प्रभु, रतिनसभापति और वीटी कलासेल्वम को नोटिस देकर पूछा है कि क्यों न उन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाए। द्रमुक ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है।

गुजरात में फर्जी जाति प्रमाण वाला निर्दलीय विधायक खांट बर्खास्त

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

- राज्यपाल के सदस्यता को अयोग्य ठहराने पर विधानसभा अध्यक्ष त्रिवेदी ने विधानसभा से बाहर किया

भूपेंद्र सिंह खांट

गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने निर्दलीय विधायक भूपेंद्र सिंह खांट का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद उनको विधानसभा से बर्खास्त कर दिया। आदिवासी विकास विभाग ने खांट के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए रद कर दिया था। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया था।

राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली को निर्दलीय विधायक भूपेंद्र सिंह खांट का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत मिली थी। खांट के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भाजपा प्रत्याशी विक्रम डिंडोर की शिकायत के बाद विधायक खांट ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जहां निर्वाचन आयोग को यथास्थिति रखने को कहा गया, लेकिन राज्यपाल ओपी कोहली की ओर से गुरुवार को खांट की सदस्यता अयोग्य ठहराने के बाद विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने उनको विधानसभा से बर्खास्त कर दिया। इससे पहले आदिवासी विकास विभाग ने खांट के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी मानते हुए उसे रद कर दिया था। गौरतलब है कि विधायक खांट के पिता ओबीसी समुदाय से हैं, जबकि मां आदिवासी। उनके भाई व पुत्र भी ओबीसी समुदाय में हैं, लेकिन खांट ने उच्चतम न्यायालय में अपनी दलील में कहा था कि पिता ने उन्हें बचपन में छोड़ दिया था। मां ने उनका लालन पालन ननिहाल में ही किया था। न्यायालय ने इसी को आधार मानते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र को वैध माना, लेकिन गुजरात के आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि विधायक के पिता व भाई ओबीसी समुदाय में हैं तथा भूपेंद्र सिंह खांट की स्कूली शिक्षा पिता के गांव में ही हुई थी। साथ ही खांट भी ननिहाल में लालन-पालन के कोई ठोस दस्तावेज विभाग के समक्ष पेश नहीं कर सके थे।

गुजरात विधानसभा के सचिव डीएम पटेल ने बताया कि राज्यपाल कोहली के आदेश के तहत ही खांट की सदस्यता खत्म की गई। उनके बर्खास्त होने के बाद इस सीट पर चुनाव होगा या दूसरे नंबर के प्रत्याशी को विजेता माना जाए, ऐसा कोई निर्देश राज्यपाल ने नहीं किया है।

इन विधायकों पर भी लटकी तलवार : कांग्रेस के भगाभाई बारड को दो साल से अधिक की सजा के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन से सस्पेंड कर दिया था। इनका मामला अदालत में लंबित है। उधर, भाजपा के द्वारका से विधायक पबुभा माणेक के निर्वाचन को हाईकोर्ट ने रद कर दिया था। माणेक के प्रस्तावक के फार्म में विधानसभा सीट का नाम ही नहीं लिखा गया था। इसके अलावा कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले अल्पेश ठाकोर की सदस्यता भी खतरे में है। कांग्रेस के मुख्य सचेतक ने विधानसभा अध्यक्ष को उनकी सदस्यता खत्म करने की अर्जी दे चुके हैं, लेकिन अध्यक्ष त्रिवेदी का कहना है कि पूरे दस्तावेज मिलने के बाद वे इस पर कोई फैसला करेंगे।

13 साल बाद

कभी टाटा के नैनो कारखाने के खिलाफ आंदोलन करने वाले सिंगुर के किसानों की आज सोच बदल गई है। उन्हें अब उद्योग चाहिए और वे इसके लिए जमीन देने के लिए भी तैयार हैं

सिंगुर के किसानों का दर्द-सियासत ने हमारा नुकसान किया

जागरण संवाददाता, सिंगुर

कभी टाटा के नैनो कारखाने के खिलाफ आंदोलन करने वाले सिंगुर के किसान अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें उनकी जमीन तो वापस मिल गई, लेकिन अब वह खेती लायक नहीं रह गई है। क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर भी मौजूद नहीं हैं। कभी आंदोलन करने वाले किसान अब उद्योग लगाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने पिछले दिनों कोलकाता में जुलूस भी निकाला था। उनका कहना है कि अगर उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका मिला तो वे सिंगुर में उद्योग लगाने के लिए नए सिरे से अपनी जमीन देने को तैयार हैं।

अशोक माइती नामक किसान ने कहा- आंदोलन करके आखिर हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। राजनीतिक दलों ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारा हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। न तो उद्योग लगा और न ही हमें लौटाई गई जमीन अब खेती लायक रह गई है। हम पहले की तरह गरीबी में ही जी रहे हैं।' अशोक और उनके भाई को 60 एकड़ जमीन वापस मिली है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सिंगुर की जमीन पर जो कंक्रीट के पिलर और सीमेंट के स्लैब हैं, उससे जमीन के ऊपर की कम से कम सात से आठ इंच परत को हटाना होगा, तभी उसे फिर से खेती लायक बनाया जा सकेगा। यह बहुत महंगी प्रक्रिया है, जिसमें आने वाली लागत को किसान वहन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करने पर जमीन को खेती लायक बनने में और 10 साल का समय लग जाएगा।

सुकांत मंडल नामक एक अन्य किसान ने कहा- हमने राजनीतिक दल की बातों में आकर गलती की थी। अगर हमने भी इच्छुक किसानों की तरह अपनी जमीन दे दी होती तो सिंगुर आज औद्योगिक केंद्र में तब्दील हो गया होता और रोजगार का सृजन होता। वरिष्ठ माकपा नेता अमल हालदर ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने किसानों के एक वर्ग को गुमराह किया, जिससे बंगाल ने एक वैश्विक अवसर खो दिया। एक किसान ने अपना नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया- शुरू में हम अपनी जमीन वापस पाकर खुश थे, लेकिन बाद में पता चला कि वह जमीन हमारे किसी काम की नहीं रह गई है।'

हुगली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी ने कहा- अगर हम दोबारा सत्ता में आए और इस सीट पर भाजपा जीती तो हम यहां कुछ उद्योग लगाने की कोशिश करेंगे। तृणमूल ने सत्ता पाने के लिए सिंगुर के किसानों का इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें फेंक दिया।' वहीं माकपा प्रत्याशी प्रदीप साहा ने कहा- सिंगुर के लोगों को अपनी गलती का अहसास हुआ है और वे अब तृणमूल को उन्हें गुमराह करने का सबक सिखाएंगे।' वहीं, दूसरी ओर तृणमूल के एक स्थानीय नेता ने बताया कि भाजपा और माकपा को यहां चुनाव में कोई फायदा नहीं होने वाला। यहां के किसान अब उद्योग चाहते हैं और पार्टी ने यहां उद्योग लगाने का वादा किया है।'

क्या हुआ था सिंगुर में

2006 में हुगली जिले के सिंगुर में टाटा मोटर्स के नैनो कारखाने के लिए बंगाल की तत्कालीन वाममोर्चा सरकार ने 997.11 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। कुछ किसान जमीन देने के इच्छुक नहीं थे। उनसे जबरन उनकी जमीन ले ली गई थी। 400 एकड़ जमीन लौटाने की मांग पर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आंदोलन शुरू किया था। सिंगुर को लेकर ममता ने कोलकाता के मेट्रो चैनल पर 26 दिनों तक अनशन भी किया था। विपक्ष के भारी विरोध के कारण 23 सितंबर, 2008 को टाटा ने कारखाने को सिंगुर से गुजरात शिफ्ट करने का फैसला किया, हालांकि जमीन लौटाने को लेकर अदालत में मामला चला। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर, 2016 को अनिच्छुक किसानों की जमीन लौटाने का फैसला सुनाया, जिसके बाद उन्हें जमीन लौटा दी गई।

कह के रहेंगे माधव जोशी